

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सहायक अधिकारी- पीयूष समारिया
आई०ए०एस०



राजस्व अपील सं० 100/2019

1. किशनलाल, राधेश्याम, चेताराम, यादराम पि० गोपाल मीना जाति मीना निवासी ग्राम
खोहरा खुर्द हाल निवासी कुण्डल तहसील दौसा जिला दौसा राज०।

...अपीलांत

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथल दिनांक 15.01.2019 प्रकरण उनवानी
सरकार बनाम किशनलाल वगै० मु०नं० 482/2018 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड
रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री नवल किशोर शर्मा, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 29.12.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैथल ने दिनांक
15.01.2019 को ग्राम कुण्डल तहसील दौसा के आ०ख०नं० 3 रकबा 0.05 है०, आ०ख०नं० 5
रकबा 0.10 है०, आ०ख०नं० 5/2256 रकबा 0.05 है०, किता 03 रकबा 0.20 है० किस्म
कानाह पर संवत् 2075 फसल रबी में मकान व बाडा बनाकर अपीलांट्स को अतिक्रमण का
दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश
पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ
न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए
बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को बिना सुनवाई व साक्ष्य
संबूत का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं
किया है कि अपीलांट्स ने कौनसी फसल काशत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
अपीलांट्स को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ
न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे अपीलांट्स को पश्चातवर्ती
अतिक्रमी माना जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स की अनुपस्थिति में निर्णय दिया
पारित किया है। जिसकी अपीलांट्स को जानकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित
निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की
जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार सराकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर अपीलांट चेताराम के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट्स अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित लब्धों पर गौर किया गया। अपीलांट्स को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चारागाह भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करना अंकित किया है। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। अपीलांट्स को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में स्थावर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.01.2019 के विरुद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

